

आमजन को पेयजल की आपूर्ति की समीक्षा पर मुख्यमंत्री स्वयं ध्यान देंगे

बजट घोषणाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल ने पेयजल व सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को विभिन्न विभागों की वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विकास कार्यों एवं योजनाओं की क्रियान्विति में संबंधित अधिकारी द्वारा लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये।

जयपुर, 15 अप्रैल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न विभागों की वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि बजट घोषणाओं को धरातल पर पूर्ण पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित किया जाए। विकास कार्यों एवं योजनाओं की क्रियान्विति में संबंधित अधिकारी एवं संवेदक द्वारा लापरवाही करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों के लिए समयबद्ध भू-आवंटन सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए। पेयजल की आपूर्ति के बारे में मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं, इसलिये यह माना जा रहा है कि इसकी समीक्षा पर वे स्वयं ध्यान देंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट घोषणाओं को धरातल पर पूर्ण पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित किया जाये। इस कार्य में लापरवाही करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाये।

पर्याप्त पेयजल आपूर्ति और किसानों को सिंचाई हेतु पानी सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 सहित विभिन्न कार्यों में देरी ना हो, नियमित मॉनिटरिंग करके कार्यों की प्रतिदिन की प्रगति की समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को पेयजल पाइपलाइन एवं सीवर लाइन को विकसित करने में परस्पर बेहतर सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी

निर्देशित किया, जिससे सड़कों को बार-बार क्षति नहीं पहुंचे और राजस्व की हानि भी ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने 'कॉल बिफोर यू डिग' ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से संबंधित विभाग और एजेंसियां आपसी तालमेल के साथ कार्य करते हैं और सड़कों को कम से कम क्षति होती है। उन्होंने कहा कि पंचपदरा रिफाइनींग (बालोतरा) से निकलने वाले ड्राउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स आधारित उद्योगों के लिए राजस्थान पेट्रो ज़ोन की स्थापना

में गति लाई जाए। साथ ही, ऊर्जा विभाग की लंबित घोषणाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने आम उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए विद्युत संबंधी कार्यों की दूरी निवृत्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को अविलम्ब लंबित बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए निर्देशित किया।

मुख्यमंत्री ने नगरीय विकास, स्वायत्त शासन, जल संसाधन, सिंचित क्षेत्र विकास, खेल एवं युवा मामला, पर्यटन एवं वित्त विभाग सहित विभिन्न विभागों की लंबित घोषणाओं की समीक्षा की।

बैठक में संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।

'आप बोइंग कम्पनी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

खबर दी कि चीन ने एयरलाइनों को बोइंग विमानों की डिलीवरी रोकने का भी आदेश दिया है। ब्लूमबर्ग ने लोगों के हवाले से बताया कि बीजिंग ने अपनी विमान कंपनियों को कहा है कि हवाई जहाज में काम आने वाले सामान व पार्ट्स अमेरिका की कंपनियों से खरीदना बंद करें।

इस बीच, एक अन्य समाचार एजेंसी, एएफपी ने इस मुद्दे पर टिप्पणी के लिए बोइंग और चीन के विदेश मंत्रालय से संपर्क किया है।

अमेरिकी आयात पर बीजिंग के रैसिप्रोकल टैरिफ के कारण अमेरिका में निर्मित हवाई जहाज व उनके पार्ट्स खरीदना काफी महंगा साबित हो गया है।

ब्लूमबर्ग ने कहा कि चीनी सरकार लीज पर बोइंग जैट लेने वाली और उच्च लागत का सामना करने वाली विमान कंपनियों की मदद करने पर विचार कर रही है।

ट्रम्प द्वारा शुल्कों की बौछार ने विश्व बाजारों को हिला दिया है, तथा सहयोगियों और विरोधियों, दोनों के

साथ कूटनीतिक व्यवहार को उलट दिया है। अस्थिर स्वभाव वाले अमेरिकी नेता ने पिछले सप्ताह आगे की बढ़ोतरी पर अचानक रोक लगाने की घोषणा की, लेकिन बीजिंग को कोई तत्काल राहत नहीं दी। अमेरिका ने चीन पर लगाये गये अधिकारी की सूची से चीन में निर्मित स्मार्ट फोन, सैमिकण्डक्टरस व कम्प्यूटर्स को निकाल कर, चीन को राहत पहुंचाने की कोशिश जरूर की है।

मुर्शिदाबाद दंगा...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

माल की सुरक्षा के लिए आवश्यक निर्देश देने और हिंसा भड़काने वाले भड़काऊ भाषण देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया है। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि अशांति के दौरान तीन लोगों की जानें गईं। कलकत्ता उच्च न्यायालय पहले ही हस्तक्षेप करते हुए मुर्शिदाबाद जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए केन्द्रीय बलों की तैनाती का आदेश दे चुका है।

अभी विश्व के अधिकांश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कोशिश कर रहा है। भारतीय और अमेरिकी व्यापार अधिकारियों के बीच बातचीत पहले ही शुरू हो चुकी है।

भारत के बारे में विदेशी भावनाएं इस उम्मीद पर आधारित हैं कि चीन से अलग, भारत एक व्यवहार्य वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग केन्द्र होना चाहिए। अब तक, चीन दुनिया का कारखाना रहा है, विकसित से लेकर विकासशील देशों तक के बाजारों में भारी मात्रा में आपूर्ति कर रहा है। इसी ने चीन की परेल्ड नीतियों की ओर अर्थशास्त्रियों का ध्यान आकर्षित किया।

अर्थशास्त्रियों द्वारा व्यापक रूप से यह माना जाता है कि चीन ने अन्य देशों की कीमत पर अपने निर्यात को अनुचित रूप से बढ़ाने के लिए डब्ल्यूटीओ प्रणाली का शोषण किया है। अब हिंसा-कितनाव का समय आ गया है।

हालांकि, अगर भारत को आपूर्ति के लिए एक उचित वैकल्पिक स्रोत के रूप में उभरना है और एक नई आपूर्ति शृंखला पेश करनी है, तो उसे

अपनी निर्माण ताकत विकसित करनी होगी। यहीं पर मुश्किल आती है। "मेक इन इंडिया" को जोर-शोर से प्रोत्साहित किया गया, पर उस दिशा में बहुत कम प्रगति हुई है। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी निर्माण आधार विकसित करने के लिए भारत को निर्माण उद्योगों के विकास में कुछ मौलिक सुधार करने की आवश्यकता है। देश में एक निर्माण इकाई स्थापित करना अभी भी बेहद मुश्किल है, औद्योगिक भूमि की कमी पहली बड़ी बाधा है। निर्माण इकाइयों के लिए औद्योगिक भूमि की पेशकश करने के लिए कानूनों को बदलना होगा। नए उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप रोजगार कानूनों को भी उपयुक्त रूप से बदलना होगा। अंत में, खनन जैसे बुनियादी उद्योगों के लिए नए क्षेत्रों को खोलने से संबंधित कानूनों को ठीक करना होगा। देश में एक बड़ा, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी निर्माण आधार विकसित करने के भारत के प्रयास में वे विन्डू बाधा साबित हुए हैं।

स्टालिन ने राज्य सरकारों के अधिकारों को भी चुनावी मद्दा...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कानूनों, नीतियों व संवैधानिक प्रावधानों की समीक्षा करेगी और राज्यों की स्वायत्तता तथा संघवाद को मजबूत करने के लिए सुझाव देगी।

विधानसभा में नियम 110 के तहत स्वपरिचित घोषणा करते हुए स्टालिन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कुरियन की अध्यक्षता में समिति गठित की। सेवानिवृत्त आईएएस अफसर व भारतीय समुद्री विज्ञान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति के अशोक वर्धन रेड्डी और राज्य योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष एम नागनाथन समिति के सदस्य होंगे।

समिति संवैधानिक प्रावधानों कानूनों, नियमों और केन्द्र राज्य सम्बंधों से सम्बंधित नीतियों की समीक्षा करेगी। राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानान्तरित किए गए विषयों को पुनः राज्य सूची में लाने के तरीके सुधारणी और राज्यों को प्रशासनिक चुनौतियों से उबरने के लिए उपाय प्रस्तावित करेगी तथा देश को एकता

अंखड़ता से समझौता किए बिना राज्यों के लिए अधिकतम स्वायत्तता सुनिश्चित करने के सुझाव भी देगी। तथा केन्द्र राज्य सम्बंधों पर गठित राजमन्त्र समिति के अन्य आयोगों के सुझावों पर भी विचार करेगी। अब, समिति का गठन निश्चित रूप से विधानसभा चुनावों के दौरान मीडिया की रुचि का विषय होगा, और इस तरह, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नियमित मीडिया कवरेज के साथ इस मुद्दे को जीवित रखा जा सकता है। और, संघवाद या केन्द्र की मनमानी से संबंधित कोई भी मुद्दा - जैसे, उदाहरण के लिए, तमिलनाडु के शिक्षा कोष को रोकना-केवल इस मुद्दे को गर्म रखेगा और ट्रमक के 'केन्द्र-विरोधी' आख्या को मजबूत करेगा, जो तमिलनाडु में काफी प्रभावित हो। और इससे अत्राप्रमुक्त की स्थिति भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इस पहलू पर उनके विचारों पर भी मतदाताओं द्वारा वारोंकी से नजर रखी जाएगी।

भारत के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उल्लेख करते हुए, स्टालिन ने कहा, एक ऐसे देश में जहां लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न जातीय समूहों से संबंधित हैं, विविध संस्कृतियों का पालन करते हैं, यहां संविधान लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। स्टालिन ने कहा, "मतभेदों की बहुतायत के बावजूद, हम सभी सद्व्यक्त से रहते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, हमारे संविधान निर्माताओं, डॉ. बी.आर. अंबेडकर के नेतृत्व में, हमारे देश के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे को एकात्मक राज्य के रूप में नहीं, बल्कि संघवाद के सिद्धांतों का पालन करते हुए, राज्यों के संघ के रूप में तैयार किया। हालांकि, आज राज्यों के अधिकारों का लगातार क्षरण हो रहा है। राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार से बुनियादी अधिकारों के लिए भी लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रत्येक राज्य को स्वायत्तता दी जानी चाहिए। तमिलनाडु

लगातार अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहा है। ऐसे समय में जब भारत में किसी अन्य राज्य ने स्वायत्तता पर कोई फल नहीं की थी तब एम. करुणामिथि थे जिन्होंने 1969 में केन्द्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए न्यायमूर्ति पी.वी. राजमन्त्र की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया। वर्ष 1971 में, राजमन्त्र समिति ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की और 16 अप्रैल, 1974 को, तमिलनाडु विधानसभा ने उस रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों को अपनाते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।"

उन्होंने कहा, इसके बाद, केन्द्र सरकार ने 1963 में सरकारिया आयोग और बाद में 2004 में पुंछी आयोग का गठन किया ताकि केन्द्र-राज्य संबंधों की विस्तृत जांच की जा सके। इन आयोगों ने विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की, हालांकि, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। स्टालिन ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार राजस्थान राज्य सूची के स्वास्थ्य, कानून और वित्त

जैसे कुछ महत्वपूर्ण विषयों को समवर्ती सूची में स्थानान्तरित करने के लिए प्रयास कर रही है। भाजपा सहयोगी तमिल मनीला कांग्रेस (मूपनार) के अध्यक्ष जी.के. वासन ने स्टालिन के इस कदम की आलोचना की और कहा कि यह तमिलनाडु के हितों के खिलाफ होगा। उन्होंने एक बयान में कहा कि केन्द्र सरकार राष्ट्रीय एकता के हित में सभी राज्यों के अधिकारों की रक्षा कर रही है और तमिलनाडु के विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं प्रदान कर रही है। वासन ने कहा, "प्रेसी स्थिति में, केन्द्र सरकार की आलोचना करना और राज्य के विकास में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को छिपाकर और उसे एक विपक्षी दल के रूप में मानते हुए मुख्यमंत्री ने केन्द्र-राज्य संबंधों का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की है, जो अनावश्यक और अनुचित है।"

बहराइच में बस ने ऑटो को टक्कर मारी

बहराइच, 15 अप्रैल। उत्तर प्रदेश में बहराइच के पयागपुर क्षेत्र में मंगलवार दोपहर तेज रफ्तार डबल डेकर बस की चपेट में आने से ऑटो रिक्शा में सवार दो मासूम बच्चों समेत सात लोगों की मौत हो गयी जबकि दस अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये। पुलिस सूत्रों ने बताया हजूरपुर क्षेत्र निवासी 16 लोग एक रिसैपन में शामिल होने के लिये ऑटो रिक्शा पर सवार होकर जा रहे थे कि रास्ते में इम्लिया के पास तेज रफ्तार बस ने ऑटो को टोकर मार दी। इस हादसे में आटो रिक्शा के परचख्चे उड़ गये और सभी यात्री गंभीर रूप से घायल हो गये।

सलमान को धमकी, आरोपी मयंक पंड्या गिरफ्तार

मुंबई, 15 अप्रैल। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सलमान खान को कथित रूप से धमकी भरा संदेश भेजने वाला आरोपी मानसिक रूप से अस्थिर है। पुलिस ने मंगलवार को यहां यह जानकारी दी। पुलिस ने धमकी भरा संदेश मिलने के बादद गुजरात के वडोदरा से मयंक पंड्या (26) को हिरासत में लिया। आरोपी ने सलमान

पुलिस ने कहा मुंबई यातायात पुलिस के वॉट्सअप लिंक पर धमकी भेजने वाला आरोपी मयंक मानसिक रूप से अस्थिर है।

को वॉट्सअप के जरिए कथित रूप से जान से मारने की धमकी दी थी।

अधिकारियों ने कहा कि यह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर है और उसका इलाज चल रहा है। पुलिस विभिन्न कोणों से मामले को जांच कर रही है।

सूत्रों ने कहा कि पंड्या ने मुंबई यातायात पुलिस के वॉट्सअप हेल्पलाइन पर भेजे धमकी भरे संदेश में कहा 'हम तुम्हारे घर में घुसेंगे और तुम्हें मार देंगे' और कहा कि सलमान खान की कार में भी बम लगा दिया गया है।

खड़गे की पहल पर, आर.जे.डी. की टीम ने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बदलाव सुनिश्चित है। अगले चुनावों में, बिहार भाजपा तथा उसके अवसरवादी गठबंधन से मुक्त हो जायेगा।"

खड़गे, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, ने दावे के साथ कहा कि युवा, किसान, मजदूर, अति पिछड़े वर्ग तथा समाज के अन्य सभी वर्ग राज्य में "महागठबंधन" सरकार चाहते हैं।

इस बीच, पत्रकारों से बात करते हुये, आरजेडी नेता यादव ने कहा,

'डीजीपी झुंझुनूं, प्रतापगढ़ की सीसीटीवी हार्ड डिस्क अपने कब्जे लें'

राज्य मानवाधिकार आयोग ने हिरासत में मौत की घटनाओं का स्वप्रेरणणा से प्रसंज्ञान लिया

आयोग ने कहा है कि दोनों जिलों में एसडीएम, डिप्टी सीएमएचओ, पुलिस निरीक्षक व चिकित्सक टीम बनाकर जांच करें।

यह भी कहा है कि सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाये। डीवायएसपी हर माह फुटेज देखकर रजिस्टर में एंटी करें।

जयपुर, 15 अप्रैल। राज्य मानवाधिकार आयोग ने झुंझुनूं और प्रतापगढ़ जिले में पुलिस हिरासत में मौत के मामले में स्वप्रेरणणा से प्रसंज्ञान लिया है। इसके साथ ही, आयोग ने दोनों जिलों के मजिस्ट्रेट को कहा है कि मामले में जांच के लिए एसडीएम, डिप्टी सीएमएचओ, पुलिस निरीक्षक और चिकित्सक की टीम बनाकर दोषियों के खिलाफ जांच कराए। वहीं, आयोग ने डीजीपी को कहा है कि वे अपने स्तर पर दोनों स्थानों के सीसीटीवी फुटेज की हार्ड-डिस्क अपने कब्जे में लें। आयोग अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने यह आदेश मामले में प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए दिए।

आयोग ने गृह सचिव, डीजीपी और वित्त सचिव को कहा है कि वे अपने स्तर पर आदेश जारी करें कि हर सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग को प्रत्येक वर्ष प्रति माह के लिए आरक्षित रखा जाए और

इसके लिए तीन टीवी तक क्षमता वाली हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाए। इसके अलावा थाने में लगे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग हर माह डीवाईएसपी देखें और रजिस्टर में एंटी करें कि थाने में कोई उल्टीइन की घटना तो नहीं हुई है। आयोग ने हर जिला पुलिस अधीक्षक को कहा है कि वे थाने में सीसीटीवी का संचालन सुनिश्चित करें।

वहीं, आयोग ने संबंधित अधिकारियों से तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। आयोग ने कहा कि देश

में विधि का शासन है और कानून को अपने हाथ में लेने की अनुमति विधि किसी को नहीं देती।

आयोग ने इस संबंध में प्रकाशित मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि झुंझुनूं के खेतडी थाने में ग्वार चोरी के मामले में युवक को बिना गिरफ्तारी दिखाए हिरासत में रखा और मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इसी तरह, प्रतापगढ़ की जिला जेल में भी एक कैदी की मौत हो गई, जिसके परिवारों ने मारपीट का आरोप लगाया है।

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून की वैधता पर सुनवाई आज

संसद द्वारा हाल ही में पारित इस कानून के खिलाफ 10 याचिकाएं दायर की गई हैं

"हमारी चर्चा बहुत सकारात्मक रही। कांग्रेस और आजेडी 17 अप्रैल को वामपंथी दलों तथा वीआईपी सहित, गठबंधन के अन्य दलों के साथ पटना में मीटिंग करेंगे। हम पूरी तरह तैयार हैं। हम बिहार को आगे बढ़ाने के लिये कटिबद्ध हैं।" उन्होंने केन्द्र की भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया।

आरजेडी नेता ने कहा, "हम

(जनता से संबंधित) मुझे पर चुनाव लड़ेंगे। हम सब का दायित्व है कि हम जनता के बीच जायें तथा लोगों को सरकार की खामियां बतायें।"

इस प्रश्न, कि क्या वे "महागठबंधन" के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, के उत्तर में उन्होंने कहा, "इस बिन्दु पर हम बैठकर चर्चा करेंगे।" बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुये, उन्होंने कहा, "नीतीश जी हाइजेक किये जा चुके हैं। अमित शाह जी ने कहा

था कि चुनाव उनके (कुमार) नेतृत्व में लड़ा जायेगा, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इस बार, बिहार में एनडीए सरकार नहीं बनायेगा। बिहार विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने हैं।

दिन भर गांधी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) कम्पनी बनाई गई थी तथा एजेएल की सम्पत्तियां यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दी गई थीं, उस समय डॉ. सुब्रमन्यम स्वामी ने गांधी परिवार के खिलाफ एक केष दायर किया था। ज्ञातव्य है कि राहुल तथा सोनिया गांधी यंग इंडियन के बड़े शेयर होल्डर थे। इस कम्पनी की सम्पत्तियों की कीमत 2000 करोड़ रु. से अधिक है।

वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि मोदी और शाह की सोच व मानसिकता के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस चार्जशीट का एकमात्र मतलब राहुल गांधी के लिये परेशानियां खड़ी करना है।

कर्नाटक का पूर्व ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) दो... कुछ लोगों को अपनी जान कुर्बान करने दो... हर शहर में आठ से दस मौतें होनी चाहिए, जैसे संदेश देकर वह लोगों को भड़काने का काम कर रहा था। साथ ही उसने कहा था कि पोस्टर और याचिकाओं से कोई मदद नहीं मिलेगी, केवल विनाश ही होगा। वीडियो बायरल होने के बाद कर्नाटक सहित अन्य राज्यों में आक्रोश फैल गया था। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व सामाजिक संगठनों ने हिंसा भड़काने वाले बयान की कड़ी निंदा की थी।

'जजों को महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के मामलों में अनुचित टिप्पणी नहीं करनी चाहिए'

सुप्रीम कोर्ट की इलाहाबाद हाईकोर्ट को फटकार और नसीहत

नयी दिल्ली, 15 अप्रैल। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि न्यायाधीशों को महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा से जुड़े मामलों में अनुचित टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑरिस्टीन जॉन्स मसीह की पीठ ने 17 मार्च को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश (जिसमें दुर्कर्म के एक मामले में आरोपी को जमानत देते समय की गई टिप्पणी) पर स्वतः संज्ञान सुनवाई करते हुए आपत्ति जतायी और नसीहत दी। शीष अदालत

ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की टिप्पणियों पर आपत्ति जताई, जिन्होंने दुर्कर्म के एक आरोपी को जमानत देते समय टिप्पणी की थी कि पीड़िता ने 'खुद ही मुसीबत को आमंत्रित किया और इसके लिए वह जिम्मेदार है।"

पीठ (शीष अदालत) ने कहा, इस उच्च न्यायालय (इलाहाबाद उच्च न्यायालय) में क्या हो रहा है? अब उसी उच्च न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश ने ऐसी बातें कही हैं... हां, जमानत दी जा सकती है। लेकिन यह

क्या बात हुई कि उसने खुद ही मुसीबत को आमंत्रित किया।

इससे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक ऐसी टिप्पणी की थी, जिससे पूरे देश में भारी आक्रोश फैल गया था। हाईकोर्ट के एक जज ने कहा था कि एक नाबालिग के स्तनों को पकड़ना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करना दुर्कर्म या दुर्कर्म के प्रयास का अपराध नहीं है।

पीठ ने 15 अप्रैल को मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि जमानत देना